

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- आझाद निवृत्ति सोमनाथ, (आई.एस.)
प्रकरण संख्या 394 / 2022 दायर दिनांक 01.11.2022 निर्णय दिनांक 16.01.2024
उनवान

1. श्री बंदी पिता ज्वारा जाट निवासी पातलियास तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।

-प्रार्थी

बनाम

1. श्री भगवान पिता ज्वारा जाट निवासी पातलियास तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. श्री हरचन्द पिता गोपी गुर्जर निवासी कुम्हारिया तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री भैरू पिता हरलाल गुर्जर निवासी कुम्हारिया तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री उदा पिता हरलाल गुर्जर निवासी कुम्हारिया तहसील व जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

-विपक्षीगण

उपस्थित-अधिवक्ता प्रार्थी श्रवण कुमार सैन
अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही

- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम - - निर्णय -

सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कुम्हारिया प0ह0 भोली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 163 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 340/3 रकबा 0.3794 है0, आराजी संख्या 341/2 रकबा 0.3288 है0. कुल किता 02 कुल रकबा 0.7082 हैकटेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एव कब्जे काश्त की है।

और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एव विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण नियत पेशी पर आदिनाक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है।


हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम,1956 स्वीकार किया जाता है।

Atad

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि कुम्हारिया प0ह0 भोली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 163 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 340/3 रकबा 0.3794 है0, आराजी संख्या 341/2 रकबा 0.3288 है0, कुल किता 02 कुल रकबा 0.7082 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आब्दाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा